न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज सावित्री बनाम पूरणमल मु.नं.– 11/23 किस्म – T.I	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	28/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। ~~बहस हेतु~~ प्रा.पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20/2/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) 20/2/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/3/25 को पेश हो। 11/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
11/23	15.02.23	11.03.25

बउनवान

1. सवित्री पुत्री बीरबल शर्मा पत्नी योगेन्द्र, निवासी रसीदपुर, तहसील महवा जिला दौसा, हाल निवासी धर्मपाल कॉलोनी, पुरानी चुंगी नाका अजमेर रोड सोडाला जयपुर।

..प्रार्थी

बनाम

1. पूरनमल पुत्र बीरबल निवासी रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा हाल निवासी हाउसिग बोर्ड कॉलोनी बेरसिया खेडा भोपाल मध्यप्रदेश।
2. बाबूलाल पुत्र बीरबल शर्मा निवासी रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा।
3. भूमिधारक जरिये तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा।
4. उपपंजीयक मण्डावर जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री भँवर सिंह, श्री मुकेश कुमार।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 – श्री धर्म सिंह राजपूत, श्री प्रदीप चौधरी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी खाता संख्या 73 के आराजी खसरा सं. 111/542 रकबा 0.02 हैक्टे. एवं 112/543 रकबा 0.86 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 हैक्टे. एवं खाता सं. 86 के खसरा सं. 111/541 रकबा 0.23 हैक्टे, 112/544 रकबा 0.65 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 हैक्टे. वाके ग्राम पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजी भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 2 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जो विरासत में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 2 को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 2 अपने अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज काश्त हैं। प्रार्थी के स्वर्गीय पिता श्री बीरबल शर्मा का देहान्त लगभग 30 वर्ष पूर्व हो गया था, तभी से प्रार्थी अपने पिता की विधिक वारिस होने के कारण अपने स्व. पिता बीरबल की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में से विरासत में प्राप्त अपने हिस्से की आराजी भूमि पर काबिज काश्त हैं। प्रार्थी ने पिता की मृत्यु होने पर पिता की विधिक वारिस होने के कारण विरासत का स्वयं का नामान्तरकरण खोलने हेतु कई बार ग्राम पंचायत रसीदपुर के सचिव, सरपंच व तहसीलदार मण्डावर को लिखित में प्रार्थना पत्र पेश किये थे लेकिन सरपंच व तहसीलदार ने अप्रार्थी सं. 1 व 2 से मिली भगत कर एवं राजनैतिक दबाव के

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

कारण प्रार्थी का उक्त भूमि में विरासत का नामान्तरकरण नहीं खोला एवं प्रार्थी को अपने स्वर्गीय पिता की भूमि में से विधिक वारिस होने पर भी भूमि से वंचित रखा जबकि प्रार्थी अपने स्वर्गीय पिता की भूमि में से अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 का सजरा निम्न प्रकार पेश है:–

बीरबल

पूरनमल (पुत्र) | बाबूलाल (पुत्र) | शान्ति (मृतक) | सावित्री (पुत्री)

शान्ति (मृतक) → यमुना शर्मा (पुत्री)

प्रार्थी के स्वर्गीय पिता श्री बीरबल के विधिक वारिस दो पुत्र पूरनमल व बाबूलाल एवं दो पुत्रियां सावित्री जो प्रार्थी एवं एक पुत्री शान्ति पत्नि मनोहर लाल जिसका देहान्त हो गया, उसके एक पुत्री सन्तान हैं जिसका नाम यमुना शर्मा पत्नि कैलाश चन्द शर्मा है। इस प्रकार प्रार्थी के स्वर्गीय पिता के प्रार्थी सहित चार विधिक वारिसान हैं एवं उक्त भूमि का विरासत का नामान्तरकरण 1/4, 1/4, 1/4 प्रार्थी एव दोनों अप्रार्थी एवं 1/4 का नामान्तरकरण प्रार्थी की सगी बहिन शान्ति का स्वर्गवास हो जाने पर उसकी पुत्री यमुना शर्मा के नाम खुलना चाहिये था लेकिन अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके प्रार्थी को उसके विधिक अधिकारों से वंचित करने के आशय से गुप चुप तरीके से विरासत का नामान्तरकरण स्वयं के नाम से खुलवा लिया एवं प्रार्थी को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया। उक्त भूमि में प्रार्थी अपने पिता स्वर्गीय बीरबल की मृत्यु होने के समय से ही अपने 1/4 हिस्से अनुसार काबिज काश्त है एवं फसल काश्त करती चली आ रही है लेकिन अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने उक्त जमीन को गुप चुप तरीके से विरासत में स्वयं का नामान्तरकरण खुलवा कर अपने नाम करा लिया था जिससे अब अप्रार्थी सं. 1 व 2 उक्त भूमि को किसी दीगर व्यक्तियों को बेचना चाहते हैं एवं यदि उक्त भूमि को तरीके से बेचने में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी एवं प्रार्थी अपने हक व हकूकों से वंचित हो जायेगी जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की सम्पत्ति में प्रार्थी को बाई बर्थ जन्म से ही अधिकार प्राप्त हैं जिससे प्रार्थी अपने पूर्वजों की सम्पत्ति से वंचित हो जायेगी एवं प्रार्थी के उक्त भूमि में मौके पर काबिज काश्त होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रार्थी से ईर्ष्या रखते हैं एवं प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल कर भगाना चाहते हैं एवं प्रार्थी के हिस्से की भूमि को हडपना चाहते हैं। इसलिये अप्रार्थी प्रार्थी से आये दिन लडाई झगडा करते रहते है। प्रार्थी के हिस्से की भूमि को जोत कर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। प्रार्थी दिनांक 30.01.23 को उक्त भूमि में अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि पर फसल की देखमाल करने गयी तो अप्रार्थी सं. 1 वहां पर अपने साथ गुण्डे व बदमाश व्यक्तियों को लेकर, हाथों में अवैध हथियार देशी कट्टा लेकर आ गया एवं आते ही प्रार्थी से कहा कि ये खेत मेरे नाम से है, तुम्हारा यहां कोई लेना देना नहीं है, तुम ये जमीन को छोड दो अन्यथा मैंने जमीन को बेचने का सौदा बदमाश व्यक्तियों से कर लिया है, ये तुमसे कब्जा लट्ठ के बल पर ले लेगें। अप्रार्थी उक्त प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दे रहे थे कि तुझे इस जमीन पर काश्त

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

नहीं करने देगें। तब प्रार्थी ने कहा कि ये जमीन मेरे पिता की जमीन थी जिसमें मेरा भी 1/4 हिस्सा है एवं मैं मेरे हिस्से पर काबिज काश्त हूँ, आप मेरे हिस्से की भूमि को नहीं बेच सकते एवं इस जमीन में नामान्तरकरण खुलते वक्त तुमने बेईमानी कर अपने नाम से ही नामान्तकरण खुलवा लिया, मैं मेरा हिस्सा लेकर रहूंगी एवं उक्त पूरी जमीन में मेरी सहखातेदारी है एवं सहखातेदारी में सभी खातेदारों का भूमि की प्रत्येक इंच पर समान रूप से अधिकार माना जाता है। आप मुझे इस तरह से मेरी खातेदारी भूमि पर अपने जाने से मत रोको एवं मेरी कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल मत करों। इस पर सभी अप्रार्थी एकदम से नाराज हो गये व भडक गये। अप्रार्थी ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि उक्त जमीन को किसी दीगर लटठ वाले व्यक्ति को बेच देगें लेकिन तुझे इस भूमि में हिस्सा नहीं देगें एवं इस जमीन में काश्त नहीं करने देगें। इस प्रकार प्रार्थी जो कि उक्त भूमि की सहखातेदार काश्तकार व्यक्ति है, प्रार्थी को उक्त भूमि अपने पूर्वजो से विरासत में मिली है एवं प्रार्थी को उक्त विवादित भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 3 के कार्यालय में जाकर बार बार अपना विरासत का नामान्तरकरण खोलने का निवेदन किया है लेकिन अप्रार्थी सं. 3 ने विरासत का नामान्तरकरण खोलने से इन्कार कर दिया है एवं आज दिनांक तक प्रार्थी का विरासत का नामान्तरकरण नहीं खुला है जिससे प्रार्थी भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषक योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित हो रही है एवं बिना ब्याज के मिलने वाले कृषि ऋण से भी प्रार्थी वंचित है एवं अप्रार्थी द्वारा प्रतिदिन की लडाई झगडा एवं प्रार्थी को उक्त दी गई ऐलानिया धमकी को देखते हुये अप्रार्थी अपने द्वारा दी गई उक्त धमकी में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। विनाय प्रार्थना पत्र व विनाय मुखास्मत दिनांक 30.01.23 को प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के हिस्सा 1/4 में कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि में आकर जान से मारने की एलानिया धमकी देने व उक्त विवादित भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर भूमि को किसी दीगर बदमाश व्यक्तियों को बेचने व रहन रखने की धमकी देने से बमुकाम वाके ग्राम पालौदा, तहसील मण्डावर जिला दौसा में उत्पन्न हुआ है जिससे प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजमी आया है। अतः निवेदन है कि ताफैसला दावा अप्रार्थी को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो ग्राम पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित खाता सं. 73 के आराजी खसरा सं. 111/542, 112/543 एवं खाता सं. 86 के खसरा सं. 111/541, 112/544 में प्रार्थी के हिस्से 1/4 में कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की रूकावट, मजाहमत, मदाखलत नहीं करें। प्रार्थी को शान्तिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोके एवं उक्त भूमि को किसी दीगर व्यक्तियों को बेचान नहीं करें एवं राजस्व रिकोर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित खाता

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

सं. 73 के आराजी खसरा सं. 111/542, 112/543 एवं खाता सं. 86 के खसरा सं. 111/541, 112/544 में के वर्तमान मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थी के हिस्से 1/4 में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकें एवं उक्त भूमि को किसी दीगर व्यक्तियों को बेचान नहीं करेंगे।

अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 3 लगायत 4 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये, इसलिए इनका जवाब का अवसर बंद कर दिया गया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खाता सं. 3 में सम्पूर्ण हिस्सा उत्तरदाता का तथा खाता सं. 86 में सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 बाबूलाल का मोजूद जमाबंदी है जिससे प्रार्थी का कोई संबंध किसी भी प्रकार का नहीं है लेकिन यह सही है कि उत्तरदाता के पिता बीरबल शर्मा का आज से 30 वर्ष पूर्व ही निधन हो गया तथा उनके निधन होने के बाद उसका नामान्तकरण प्रार्थी की मौखिक सहमति से ही उत्तरदाता के नाम खुला था जिसमें किसी भी प्रकार की अविधिक कार्यवाही नहीं की गयी। प्रार्थी का उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं है और ना ही उसके द्वारा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात कराने का कभी प्रयास ही किया क्योंकि 30 वर्ष पूर्व पिता का देहान्त होते वक्त सभी की सहमति से ही राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात हुये थे तथा प्रार्थी के पिता ने उस समय प्रार्थी की अच्छे घर परिवार में शादी की थी जिसमें काफी पैसा खर्च किया था तथा उसके बाद उनके पति योगेन्द्र आर्य एडवोकेट थे जो अच्छे राजकीय ओहदे पर भी रहे हैं। इस कारण उन्होंने कभी इसका विरोध भी नहीं किया था लेकिन अब जमीनों की कीमत बढ़ जाने तथा अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर उनके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा सजरा अधूरा पेश किया है जो स्वीकार नहीं है। मृतक शान्ति के अन्य वारिस ओर हैं जिन्हें सजरा में नहीं दर्शाया है और उन्हें दावा व प्रार्थना पत्र में पक्षकार भी नहीं बनाया है। प्रार्थी को उसके अधिकारों से किसी ने भी वंचित नहीं किया बल्कि उनके पिता के देहावसन के वक्त उन्हें किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी मौखिक सहमति देकर अपने भाइयों के नाम नामान्तकरण खुलवाया था लेकिन अब वो किसी के बहकावे में आकर उन्होने गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। प्रार्थी ने सम्पूर्ण तथ्य उक्त प्रार्थना पत्र में गलत अंकित किये हैं क्योंकि उक्त आराजी का विरासत का नामान्तकरण जब खुला था, उस समय एक ही खाता था जिसका उत्तरदाता एवं अप्रार्थी सं. 2 द्वारा आपसी सहमति से विभाजन करवाया गया जिस समय तक किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति किसी ने नहीं की जबकि उनका किसी भूमि के किसी हिस्से पर कोई कब्जा नहीं है तथा कब्जे के अभाव में प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। जब प्रार्थी का उक्त भूमि के किसी हिस्से पर ना तो कब्जा है, ना ही उनका कोई वास्ता ही है, ना ही वो उक्त दिनाक 30.01.23 को रसीदपुर आयी, ना ही अप्रार्थी उत्तरदाता उक्त दिनांक को भोपाल से महवा ही आया, फिर इन दोनों की कोई भी बात कैसे और कहां हुई, यह

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

एकदम गलत तथ्य प्रार्थी ने अंकित किये है जो मात्र विनाय दावा बनावटी रूप से बनाये जाने हेतु अंकित किये है। प्रार्थी एवं उत्तरदाता के मध्य किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं हुई। प्रार्थी का ना तो प्रथम दृष्टया कोई साबित है और ना ही सुविधा का सन्तुलन ही उसके पक्ष में है बल्कि आज राजस्व रिकार्ड में खातेदारी उत्तरदाता के नाम होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में है तथा सुविधा का सन्तुलन भी उत्तरदाता के पक्ष में है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। खातेदार काश्तकार उत्तरदाता के विरूद्ध यदि किसी भी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो उसे अपूरणीय क्षति होगी जबकि प्रार्थी का इस भूमि से कोई संबंध नहीं है इस कारण उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति होने की संभावना नहीं है। लिहाजा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी उत्तरदाता के पक्ष में होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थी से पूर्व एक दावा उनवानी पुष्पेन्द्र बनाम पूरण मल शर्मा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का उत्तरदाता के पुत्र द्वारा इसी न्यायालय में घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है जो कि विचाराधीन है। उसके बाद उक्त दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो कि खारिज होने योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पैतृक सम्पत्ति बताकर पेश किया है तथा अपना 1/4 हिस्सा होना मानकर प्रस्तुत किया है तथा एक हिस्सा अपनी मृतक बहिन शान्ति का होना बताया है तथा उसकी पुत्री यमुना शर्मा को सजरा में तो बताया है लेकिन उसे प्रार्थना पत्र में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पक्षकारों के असंयोजन के दोष से दूषित होने के कारण मुकदमा खारिज होने योग्य है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी खसरा नम्बर 111/541 रकबा 0.23 हेक्टयर की किस्म गै.मु.आबादी दर्ज रिकार्ड तथा आबादी भूमि से संबंधित मामलों को सुनने हेतु सिवित न्यायालय सक्षम न्यायालय है। श्रीमान को धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वार्ड कर रखा है इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को श्रीमान को सुनने की अधिकारिता नहीं होने के कारण प्रस्तुत दावा व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत खारिज होने योग्य है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्वयं प्रार्थी ने ही अंकित किया है कि उसके पिता बीरबल शर्मा का देहान्त हुये करीब 30 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है तथा इतने समय बाद उसके द्वारा कार्यवाही किया जाना मियाद बाहर है, इस कारण प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण खारिज होने योग्य है। वादिया ने दावा में बनावटी विनाय दावा दिखाया है क्योंकि स्वयं प्रार्थी ने उत्तरदाता का पता हाल भोपाल मध्य प्रदेश का बताया है जिनकी उम्र 79 वर्ष है। जिनसे ज्यादा चला फिरा भी नहीं जाता है तथा वो दिनांक 30.01.2023 को ना तो महवा आयें और ना ही रसीदपुर आराजी पर ही आये और ना ही प्रार्थी ही उक्त दिनांक को रसीदपुर आयी तो फिर उन्हें किस प्रकार विनाय दावा उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी एवं उत्तरदाता की कोई बात ही नहीं हुई। इस कारण उन्होने मनगढन्त तारीख मात्र विनाय दावा बनाने के उदेश्य से अंकित की है जो गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विनाय दावा के अभाव में खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जबाव में प्रार्थना पत्र के अधिकांश हिस्से को अस्वीकार करते हुए लिखा कि जिस वक्त प्रार्थिया के स्वर्गीय पिता बीरबल शर्मा का देहांत हुआ

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

था, उस वक्त पुत्रियों को पिता के द्वारा छोड़ी गई विरासत में कृषि भूमि में नामांतकरण खोलने का कानूनी अधिकार नहीं था। उस वक्त विधिक रूप से पिता की सम्पत्ति में पुत्री को किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे। पिता की चल–अचल सम्पत्ति में पुत्रियों को अधिकार 2005 में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में संशोधन होने के उपरान्त प्रदान किया गया है। शेष लिखित तथ्यों को प्रार्थी अपनी साक्ष्य से स्वयं साबित करे ।

प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभय पक्ष ने प्रार्थना पत्र एवं जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र घोषणा खातेदारी तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार, ग्राम पालौदा पटवार हल्का धौलखेडा तहसील मण्डावर में स्थित विवादित आराजीयात के अप्रार्थी सं. 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार है। विवादित आराजीयात बाबत, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए सजरा को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब में स्वीकार किया गया है, इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पैतृक आराजीयात है। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 सगे भाई बहन हैं, इस कारण प्रार्थी पैतृक सम्पति में अपने हिस्से की घोषणा करवाने की अधिकारी है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। जवाब प्रार्थना पत्र में

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

लिखे गये अन्य तथ्य यथा – मनगढ़ंत विनाय दावा, दावा क्षेत्राधिकार से बाहर होने, पक्षकारों के असंयोजन के दोष से दूषित होने, आदि वाद पत्र में साक्ष्य उपरान्त ही तय किये जा सकते हैं। विवादित आराजीयात का वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थी के अधिकार पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खाता सं. 73 के खसरा सं. 111/542, 112/543 एवं खाता सं. 86 के खसरा सं. 111/541, 112/544 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 15.02.23 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, संपुष्ट (**Confirm**) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थी के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकगें एवं उक्त भूमि को किसी दीगर व्यक्तियों को बेचान नहीं करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 11.03.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)